

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-।

टावर-1 चतुर्थ तल, (अनु0-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अट्टारह-आशु0वरिष्ठता)-2022

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 03, 2022

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

Kind attention

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपत्रिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-12 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक: 10.08.2020 को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के 337 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 186 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर upload अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथा-संशोधित दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमंक-90 तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) का विवरण नवीन बोर्ड प्रपत्र-12 में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक: 01.07.2022 होगी।

5. कर्मियों के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जाँच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमंक-100 तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय।(स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जाँच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-12 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-12 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं

परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. नवीन बोर्ड प्रपत्र-12 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-12 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-12 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी०डी० तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:19.07.2022 को पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के कर्मों-100 तक के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र-12 (48 कालम) में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांक:12.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

Ke send by 12-8-22

(सर्वेश कुमार राना)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
- 8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
- 9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
- 10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण
सत्र-----का पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----
जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

[illegible]

१-प्रत्येक कॉलेज को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलेज में कोई सूचना अंकित नहीं की जाती है, तो उस कॉलेज में स्पष्ट रूप से सूचना अंकित किया जाये।

- 2-उक्त सृजना A3 पेज पर Landscape में भाइकोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही वैचार की साथे।

- 3-एक लाइन में एक ही अवस्था की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

- 4-एक ही cell में भई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

- ५-अपूर्ण प्रपञ्च स्वाकार नहः क्वथा जायमा ।

- कन्याश्री के नाम पर आधिकारिक कन्याश्री द्वारा बनाई गई नमो भगवते वासुदेवाय स्तोत्र का पत्र

- श्रीत-विद्याकिर मायं तं

- १- अभिमान पंजीकृत होने की दशा में कर्म के विरुद्ध आरोप पत्र गा

- 2- दिनागिय कार्यवाही की दृशा में आरोप पत्र की प्रति।

- 3-दण्डादेश के विरुद्ध प्राप्त भाग उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रतीति।

- ६-बर्ख़ास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे जाने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मश न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्का में अनपद रु

- 5-यदि पिछारण वर्ष के पिछता 05 वर्षों में कर्मा के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया। है तो उसका कारण।

- ह-कर्मिणो के प्रकारणों से सम्बन्धित मा० न्यायालय द्वारा स्थान/दण्डादेश निम्न किं ज्ञान सम्पदा आदेशों को प्रदान कर दिया।

- 7-विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्ड-दण्डों का उत्तर दिया जाय। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद क्रम से प्रदत्त दण्ड-दण्डों का उत्तर देना। 100% अथ।

- ४-विभागीय प्रोन्सि सभित की बैठक सम्मन दाने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रात्र में अंकित किया जाय। यदि वरिष्ठ पंजिका/ बोर्ड प्रात्र २०१० पुलिस मुख्यालय, नवलख मकान

- किया जाता है तो उसकी सूचना गुजालिय, पुतिंस मगानिदेशक उओओ लखनका के एएए में। इस नाल का ना समनापत जानमद/इकई क धरा।

- प्रतिकूल भन्दा की दशा में सेवा अभिलेख में अकिरी श्रेणी यथा-असंगोभजनक/असंग/प्रतिकूल साष्ट छप रहे कालम संख्या -19, 20 व 21

- 10- यदि सम्प्रसारित कारीर के द्वारा प्रतिष्ठित नार्किंग मन्थान के विरुद्ध प्रेषित प्रसारणन का निराकरण समान अधिकारी के द्वारा निष्पक्षित प्रमाणानुषे न करी किया जाता है तो ऐसा मापनीय वाक्क मन्थान प्रारंभिक नहीं माना जाएगा।

- [illegible]

- १२-कार्गिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -४/२०२२/१३ (४) २०२१ / को-१-२०२२ दिनांकित ०६-०५-२०२२ के प्रसारि-६ में यह भी उल्लेख है कि विभागाय प्रधान साक्षरता के लाल प्रत्युत्पन्न आगे मात आकाश**

- [illegible]

- पुलिस अधीनस्थ
हस्ताक्षर
मुद्रांकित तिथि का
हस्ताक्षर

- नाम, पद, मुख
नाम, पद, मुख
नाम, पद, मुख
नाम, पद, मुख

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैंक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-1

टावर-1 चतुर्थ तल, (अनु0-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अठ्ठारह-233-(एसआई-लिपिक)-2022

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 3, 2022

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-15 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:28.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक: 24.08.2021 को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 625 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 579 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment पर upload अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथा-संशोधित दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत **पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक)** के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमांक-50 तक (क्रमांक-4 व 5 को छोड़कर)** के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) का विवरण नवीन **बोर्ड प्रपत्र-15** में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 01.07.2022 होगी।

5. कर्मियों के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जाँच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **क्रमांक-50 (क्रमांक-4 व 5 को छोड़कर)** तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। **(स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)**

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जाँच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-15 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-15 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं

परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

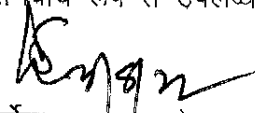
10. नवीन बोर्ड प्रपत्र-15 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-15 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी०डी० तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:28.07.2022 को पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमांक-50 (क्रमांक-4 व 5 को छोड़कर) तक के पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र-15 (48 कालम) में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांक:12.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

Re send by 12-8-22


(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- पुलिस कमिशनर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
- 8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
- 9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
- 10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं _____ (नाम/पदनाम) _____ व
पीएनओ) _____ पुत्र

_____ निवासी _____ थाना _____ जनपद _____

वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____ नियुक्त हूँ तथा
प्रशिक्षण

सत्र _____ का पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे _____ विरुद्ध
मु०अ०सं० _____ द्वारा _____ थाना _____
जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण प्रालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

[illegible]

2-पुस्तक सूचीका A3 पृष्ठ पर Landscape का एक प्रकाश चित्रण का चित्र प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस चित्रण में स्पष्ट रूप से 'मृदा' अंकित किया जाये।
3-एक चित्रण में एक ही अवस्था की प्रस्तावित स्थिति में 'Kumdi Dew Droms' में छे चित्रण की जाये।
4-पुस्तक की काल में चित्रण के लिए 'Mud-Painter' का प्रयोग किया जाये।
5-प्रत्येक पुस्तक अंकित नहीं किया जायेगा।
6-चौद प्रत्येक पर अंकित, कोकाली द्वारा चित्रण काटित हस्ताक्षर लिखे जाये। ऐसा न होना प्रत्येक कार्य पर :
प्रमाण की प्रतीति:-

नाट्यमञ्चनाकृतं प्रपञ्चं । का भूतनाय क्षयाप्राप्तिर्या उपलब्ध करायी जाये ।

- 1- भारतीय पंचांगानुसार की दशा में कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र माग आधारित में प्रेषित किया गया है तो 'एकअग्रहोपश्रान्त की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अतिरिक्त अभियुक्त/प्राप्त/कर्मी के नाम/ धीरेप्राप्त/अभी नाम/ श्रेणी/दी सहित) आगत पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या-45 में किया जाए।
- 2- विचारित करीबानी की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
- 3- एकादश के विरुद्ध प्राप्त माग उपाय आधारित/अतिक्रमण के आरोप/निर्णय की प्रति।
- 4- अतिरिक्त/अपराध अतिरिक्त की स्थिति में कर्मिक मन्त्रालय न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में माग आधारित के निर्णय की प्रति तथा तत्काल में जनरल रु
- 5- यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मों के पेश में होने के बादवर्ष भी बर्षिक मन्त्रालय अतिरिक्त नहीं किया गया है तो इसका कारण।
- 6- कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित माग न्यायालय द्वारा सारण/व्यवस्थापित दिखता मिले जाने सम्बन्धी आरोपों की पत्तरी प्रमाणित।
- 7- विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मों को प्रदत्त दण्डकार्यों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मों को प्रदत्त दण्डकार्यों का उल्लेख न किया जाये।
- 8- विचारण प्रारंभिक स्थिति की बैठक स्थान होने तक कर्मिक को प्रदत्त पत्रों का विवरण कोई पत्र में अतिरिक्त किया जाये। यदि बाध्य परिधि/ग/रहित प्राप्त 5000 प्रतिशत प्रमाणित, सहायक केन्दनों के आधारित कर्मिकों को यदि कोई दण्ड प्रदान करना निर्दिष्ट/निर्देशित किया जाये। दशा यदि कर्मिक के विरुद्ध पत्र/अतिरिक्त आरोपों में आरोप किया जाये। तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, पुलिस सहायक 5000 तत्काल के साथ ही दशा के कर्मों की सम्बन्धित व्यवस्था/कर्मी के द्वारा दौरे/केन्दनों के माध्यम से उद्भव प्रमाणित कराये जाये।
- 9- प्रेषित/न प्राप्त की दशा में पेशा अतिरिक्त में अतिरिक्त सेवा अथवा अतिरिक्त/अपराध/परिष्कार समक प्राप्त से अज्ञात संख्या -10, 20 व 21
- 10- यदि सार्वजनिक कर्मिक के द्वारा प्रेषित/अतिरिक्त मन्त्रालय के विरुद्ध प्रेषित प्रस्तावित का विचारण प्रमाणित के द्वारा निर्धारित प्रमाणित में नहीं किया जाता है तो ऐसा नतीजा बर्षिक मन्त्रालय प्रेषित/अतिरिक्त माग जायेगा।
- 11- यदि सार्वजनिक कर्मिक को सार्वजनिक का सारण में कोई दिखानी अतिरिक्त नहीं है अतिरिक्त प्रमाणित प्राप्त के बाद प्रेषित/अतिरिक्त आरोपित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कर्मिकों की सार्वजनिक प्रमाणित प्राप्त जायेगी, व इस प्रकार में सम्बन्धित कर्मिकों की पत्र/पत्र की संख्या अतिरिक्त के द्वारा मिले नये निर्णय के अन्तर्गत होगी।
- 12- कर्मिक विचारण द्वारा साक्षात्कार संख्या -4/2022/13 (4) 2022/का-1-2022 दिनांकित 06-06-2022 के प्रस्ताव-5 में दण्ड की सीमा/सीमा है कि विचारण प्रमाणित के सारण प्रमाणित मिले जाने वाले कर्म अतिरिक्तों, के सार्वजनिक पुलिस/प्रमाणित का सार्वजनिक प्रमाणित, विचारण/कार्यक्रम के सार्वजनिक अतिरिक्त का होगा।

नाम, पद, गुरु

पुष्पिन निपाक व
सुसुप्ति

नाम, पद, मुहर

संस्थाधिकारी कार्यालय के

सुख, भद्र, मङ्गल

नियुक्ति प्राधिकारी

गुल्लर अथवा गुल्लर

पलिस आदीसक, जाकिह डेग न

दिनांक सहित प्रतिलिखित

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स
उत्तर प्रदेश-1

टावर-1 चतुर्थ तल, (अनु0-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602
संख्या:अड्डारह-233-(एसआई-लेखा)-2022

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 3, 2022

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

Kind attention

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-18 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:14.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक: 06.08.2021 को पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 252 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 223 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर **upload** अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथा-संशोधित दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु **अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमंक-40 तक** के पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) का विवरण **नवीन बोर्ड प्रपत्र-16** में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु **कट-आफ-डेट दिनांक: 01.07.2022** होगी।

5. कर्मियों के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के **क्रमंक-40 तक** के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। **(स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)**

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-16 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही **सभी पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-16 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं

परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राइटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकाये/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-16 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी०डी० तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:14.07.2022 को पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमिक-40 तक के पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 (48 कालम) में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांक:12.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(Per send by 12-8-22)

(सर्वेश कुमार राना)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
- 8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
- 9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
- 10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण
सत्र-----का पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०-----धारा-----थाना-----
जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

26754	1214	972013305	मदन सिंह	श्री सोदान सिंह	आरक्षी पुलिस	आगरा	आगरा	05-09-1975	17-06-1997	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412
-------	------	-----------	----------	-----------------	--------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2- इसका सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruati Power Point में और मैग्नेट उसे करने ।

- 4-एक लक्षण में एक ही क्रमबद्ध को पूराना एंजिम को ज्ञाते। *Lines/cells को matoge न दिया ज्ञाते।*
- 5-एक ही cell में कई लक्षण में किसी हेतु *Alta-Enter* को क्यों किया जाने।
- 8-कौन प्रथम स्वीकार नहीं किया जाने।
- 9-कौन प्रथम प्रथम अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिखित एंजिम इसलिये किने जाने। हेतु न होने पर बोर्ड स्तर पर

प्रश्न का चक्र संख्या:-

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

2-- विनागिया : कार्यवाही की जाणूत में अन्तर्गत में भी नहीं।

३-६७छांदश के विभिन्न भाषा भा। राज्य न्यायालया / अधिकायता के माधेय / निर्दिष्ट - १. अधि.

५-वर्षास्त्रांगी अपथया अनुपस्थिति की स्थिति में दार्ढिक मन्त्राय न लिखे होने की दृष्टा में

5- यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्म के सेवा में होने के बावजूद भी दार्शनिक भर्त्सना अंकित नहीं किया गया है तो उक्तका कारण

संस्कृत भाषा के प्रकरणों से सम्बन्धित माधव व्यासालय द्वारा संपन्न/दृष्टादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।

अन्वयगत हा कर्म का प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विवाह अवधि के पूर्व व विवाह अवधि के बाद कर्मा को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।

अन्वयार्थगत साधन को एकक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दुष्कां का विवरण बोध प्रपन्न में अधिकृत किया जावे। यदि शरित् पणित

मुंबई, गुलशन भाई नरेश के 3040 लखनऊ के साथ ही दस बोंह को भी सम्मिलित अनाद/दकाद के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवकाश उपलब्ध करवाये जाये

— ३॥ शुभ नमस्त्वय नमः अकित श्रेणी यथा-असतोऽपन्नक/अयम्/प्रतिकृत स्पष्ट रूप से कालम संख्या -19, 20 व 21

[illegible]

—कोई कि प्रियम वरुण विराम
 पावनमोक्ष के संकल्प में कोई इच्छा आकाश नदी है
 शालक प्रजापति आकाश के चलते प्रविष्टि आदिधियाव (DLDLR) की गयी है तो ऐसे कार्मिक को सत्यनिष्ठा मुनाजित नानी ज्ञात्री व इस समकाल में

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																																																																												
Population (millions)	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1

2017年11月19日

नाम, पद, गुरु

•

—

10

1

[illegible]

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-।

टार-1 चतुर्थ तल, (अनु-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अउडारह-एसआई(लिपिक)-271-2022

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 01, 2022

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-17 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:18.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक:04.08.2021 को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के 772 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 694 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment पर upload अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथासंशोधित एवं दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।

3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमांक-250 तक (क्रमांक-2, 24 व 55 को छोड़कर) के पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) का विवरण नवीन बोर्ड प्रपत्र-17 में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 01.07.2022 होगी।

5. कर्मियों के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमांक-250 (क्रमांक-2, 24 व 55 को छोड़कर) तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) द्वारा कोई अभियोग/ विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-17 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-17 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह

परिक्षेत्रीय एवं जौनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जौनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राइटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. नवीन बोर्ड प्रपत्र-17 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-17 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-17 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वधोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी०डी० तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:18.07.2022 को पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रमांक-250(क्रमांक-2, 24 व 55 को छोड़कर) तक के पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र-17 (48 कालम) में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांक:10.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(सर्वेश कुमार राणा)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
- 8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जौन उत्तर प्रदेश।
- 9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
- 10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

am
11/8/22

af
11/8

सहितः

[illegible]

3-एक लाइन में एक ही अवधि को खूना अधिक हो जाये। Lines/cells को match न किया जाये

5-अपूर्व प्रथम स्वीकार नहीं किया जावेगा।

संरचना की एक विधा :-

उपरोक्त चरण पर नाविकों / कर्मचारियों द्वारा प्रदानक ग्राहकों द्वारा प्राप्त हुआ न डीएल पर

नोट-निम्नांकित प्रश्नों को चरनीय जायाप्रतिभा उपलब्ध करायीं जायें।

2- विभागीय कार्यवाही को, द्वारा में जायेय एवं को प्रति ।

[illegible]

3- यदि विचारणा वर्ष के विगत 05 वर्षों के कार्यों के बोधा में होने के बावजूद भी पार्षिक गन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो सुझाव कारण।

7-विभाग अवधि के उपरान्त ही कर्म को प्रस्ताव द्योदशों का प्रस्ताव किया जावे। विभागाध्यक्ष के पूर्व में विभागाध्यक्ष के लिए जहाँ जहाँ नोट्स आने लगे हैं उनमें से एक-एक करके लेखकों को देना चाहिए।

उच्च-विभागीय प्रोन्नति समिति को बैठक सम्पन्न होने तक कार्रवाई को प्रस्ताव देकरों का विपणन बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि वरिष्ठ अधिकारी/बोर्ड प्रपत्र 2010 प्रतिष्ठित नभ्यालय, लखनऊ में

—**UNFINISHED BUSINESS** with views of other members of office staff were completed during a meeting of the committee on the 10th inst.

[illegible][illegible]

साहित्य साधकों निमित्त क

नौग. पृ. मृ. मृ.

धर्मशास्त्रिकारं शास्त्रालयं

इष्टतमम्
नाम, पद, भव

निबन्धिका

पुनर्विध. अर्थात् पुनर्विध.

पतितः भविष्यति तर्हि ननु

दिनांक: ११/११/२०१८

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) _____ पुत्र

निवासी _____

थाना _____

जनपद _____

वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____ नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र _____ का पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्ति स्थान-

दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-।

टावर-1 चतुर्थ तल, (अनु-18) सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602

संख्या:अद्वारह-एसआई(लेखा)-271-2022

दिनांक:लखनऊ: अगस्त 01, 2022

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की अद्यावधिक चरित्र पंजिका एवं भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किये गये संशोधित बोर्ड प्रपत्र-18 के (48 कालम) में सूचना व सेवाभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:14.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक:29.07.2021 को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) के 227 कार्मिकों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पदोन्नति प्राप्त/सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/मृत/पदच्युत कार्मिकों को हटाते हुए 183 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर upload अपलोड करते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015," यथासंशोधित एवं दिनांक 15.04.2020 को प्रख्यापित (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है।
3. इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-प्रमोशन-नार्मस/2017 दिनांक:18.07.2022 द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप (48 कालम) में सूचना तैयार कर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक:20.07.2022 द्वारा भर्ती बोर्ड के संदर्भित पत्र एवं नवीन बोर्ड प्रपत्र (48 कालम) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रपत्र भरे जाने हेतु निर्देश समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।
4. भर्ती/चयन वर्ष-2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रम-122 तक के पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) का विवरण नवीन बोर्ड प्रपत्र-18 में प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 01.07.2022 होगी।
5. कर्मियों के विरुद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रम-122 तक के कर्मियों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय।(स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)
6. यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-18 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-18 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपद प्रभारी एवं परिक्षेत्रीय पुलिस

महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।

8. राजकीय रेलवे पुलिस/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग तथा अभिसूचना विभाग/सुरक्षा विभाग/पीएसी की वाहिनियों एवं सेक्टर एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के बोर्ड प्रपत्र उनके मुख्यालय द्वारा संकलित कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा किसी भी इकाई का सीधे बोर्ड प्रपत्र अथवा चरित्र पंजिका स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कर्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राइटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कर्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. नवीन बोर्ड प्रपत्र-18 (48 कालम) में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-18 में सूचनायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

11. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-18 (48 कालम) में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी०डी० तैयार कर व पेन ड्राइव में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

12. अतः अनुरोध है कि कृपया इस मुख्यालय द्वारा दिनांक:14.07.2022 को पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) की निर्गत अद्यावधिक वरिष्ठता सूची के क्रम-122 तक के पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के सेवा अभिलेख भर्ती बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र-18 (48 कालम) में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को दिनांक:10.08.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(सर्वेश कुमार राना)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्धनगर(नोयडा)/कानपुर/वाराणसी।
- 8- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।
- 9- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
- 10- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) _____

पुत्र

निवासी _____

थाना _____

जनपद _____

वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____

नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र _____

का पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स० _____ द्वारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉन् एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मैं द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्त स्थान-

दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

